भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 65
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल संबंधी रोडमैप

***65. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वैश्विक विमानन सेक्टर ने वर्ष 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत ने अभी तक अपने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) संबंधी रोडमैप को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिसमें हरित विमानपत्तन संबंधी पहलों को प्रोत्साहित करना शामिल है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या इस विलंब से भारतीय विमानों/कैरियर को भविष्य में कार्बन ट्रेड संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल संबंधी रोडमैप" के संबंध में डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही द्वारा पूछे गए दिनांक 24 जुलाई, 2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 65 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की 41वीं महासभा ने यूएनएफसीसीसी पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय विमानन हेतु वर्ष 2050 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्य (एलटीएजी) को अंगीकार किया है। एलटीएजी में प्रत्येक देश के लिए उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों के रूप में विशिष्ट दायित्वों या प्रतिबद्धताओं का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके स्थान पर, इसमें माना गया है कि प्रत्येक देश की विशेष परिस्थितियाँ और संबंधित क्षमताएँ अपने स्वयं की राष्ट्रीय समय-सीमा के भीतर, एलटीएजी में योगदान करने के लिए प्रत्येक देश की योग्यता निर्धारित करेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बाज़ार आधारित उपाय, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग न्यूनीकरण योजना (सीओआरएसआईए) को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का एक सदस्य देश होने के तौर पर, भारत पर वर्ष 2027 से सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण का अनुपालन करने की बाध्यता है। सीओआरएसआईए योजना के अंतर्गत, एयरलाइनों के लिए 2019 की निर्धारित आधार रेखा से ऊपर अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करना अपेक्षित है। सीओआरएसआईए योजना केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए लागू है। दिनांक 24.11.2023 को आयोजित राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) की पाँचवीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर, पारंपरिक विमानन ईंधन में संधारणीय विमानन ईंधन के मिश्रण के 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% के सांकेतिक लक्ष्यों को, प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमोदित किया गया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने अनुसूचित परिचालन वाले सभी हवाईअड्डों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ताओं को कार्बन न्यूट्रेलिटी और नेट ज़ीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है। बेंगलुरु हवाईअड्डे ने एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) का उच्चतम कार्बन प्रत्यायन स्तर 5 प्राप्त कर लिया है, जबकि दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद हवाईअड्डों ने एसीआई प्रत्यायन स्तर 4+ प्राप्त किया है। ये हवाईअड्डे कार्बन न्यूट्रल बन गए हैं। अब तक, कुल 88 हवाईअड्डे 100% हरित ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं।

(ग) और (घ): उपर्युक्त (क) और (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

******